न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 10/2019
दायर दिनांक : 22/02/2019
निर्णय दिनांक : 25/11/2025

उनवान

1. शंकरलाल पिता चम्पालाल गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. चम्पालाल पिता दोला जाति गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर
2. हरलाल पिता चम्पालाल गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर
3. भगवानी पत्नी लेहरू पुत्री चम्पालाल गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर हा. मु. रामाखेड़ा तह. कपासन
4. देउबाई पत्नी सूरजमल पुत्री चम्पालाल गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर
5. माधु पिता रूपा गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर के बजाय :
   5/1 मोहन पिता माधु गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर
   5/2 श्यामू पुत्री माधु गाडरी पत्नी माधु गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर हा.मु. चाकुडी तह. भूपालसागर
   5/3 झमकू पुत्री माधु पत्नी हरिराम गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर हा. मु. रावतिया तहसील भूपालसागर
   5/4 कस्तरी पत्नी माधु गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर
   5/5 नारायण पिता माधु गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर के बजाय
   5/5–1 गणेश पिता नारायण जाति गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर
   5/5–2 गोपाल पिता नारायण जाति गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर
   5/5–3 सीमा पुत्र नारायण पत्नी दिनेश गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर हा.मु. कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
   5/5–4 मांगीबाई पत्नी नारायण गाडरी निवासी भूपालनगर उर्फ डाबर तहसील भूपालसागर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर
7. उपपंजीयक, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री के.जी.झंवर, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त उनवान का वादपत्र आप न्यायालय में पेश है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण का पारिवारिक सजरा प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 2 में वर्णित है। प्रार्थी के परिवार के प्रथम पुरूष गांगाजी हुऐ हैं और प्रार्थी के पिता दोला जी की मृत्यु हो चुकी है। स्व. दोली जी के उत्तराधिकारी वारिसान चंपालाल के पुत्र प्रार्थी शंकरलाल एवं हरलाल हुआ है और एक पुत्री भगवानी रही है। ग्राम भोपालनगर उर्फ डाबर तहसील भोपालसागर में स्थित कृषि भूमि खाता नं. 98 पुरोन 96 आ.सं. 455, 456, 501, 507, 517, 521, 522, 527, 590, 594, 677, 724, 1329, 1347, 1364, 1652, 1659, 1683, 1684, 1685, 1766, 1767, 1896, 2160/725 कुल किता 24 कुल क्षेत्रफल 8.96 है. भूमि मौरूसी जायदाद है। इसी प्रकार आ.सं. 1681 रकबा 0.02 है. भूमि भी मौरूसी जायदाद है। इसी प्रकार आ.सं. 1681 रकबा 0.02 है. भूमि भी मौरूसी जायदाद होकर उक्त जायदाद के सहखातेदार माधु पिता रूपा को भी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार [illegible] गया है उपरोक्त वर्णित आराजियात मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थी का जन्म से ही जाय[illegible] में [illegible]बर हक अधिकार हिस्सा है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियांत एवं दोलाजी की समस्त [illegible] अचल जायदाद में चम्पालाल का 1/2 हक हिस्सा होकर 1/2 हक हिस्सा देउबाई का ब[illegible] है एवं चम्पालाल जी [illegible] चुन्नी की मृत्यु हो चकी है, इस प्रकार चम्पालालजी के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा प्रा[illegible]करलाल का 1/3 हिस्सा हरलाल का एवं 1/3 हिस्सा भगवानी का [illegible]सत से बनता है और [illegible] अपने हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 17:06:47 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से अनुसार जायदाद पर काबिज हो जायदाद का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है प्रतिवादीगण द्वारा जायदाद का बंटवारा करने से मना कर प्रार्थी को उसके हक अधिकार से वंचित करने की धमकियां दे रहे हैं। इसी प्रकार जायदाद का बंटवारा कराया जाकर खातेदारी प्रार्थी हक हिस्सा घोषित कराया जाना न्याय संगत है। उसी अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवारा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग अलग हिस्सा दर्ज किया जाने की आज्ञप्ति जारी फरमाई जाना आवश्यक है एवं न्याय संगत है। उपरोक्त वर्णित जायदाद को विवादित जायदाद के नाम से संबोधित किया जायेगा। विवादित जायदाद अविभाजित जायदाद होकर मौरूसी जायदाद है जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षीगण का हक अधिकार हिस्सा बरना एवं हडप करना चाहता है जिका की विपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त वर्णित जायदाद में से आ.सं. 677 रकबा 0.41 है, आ.सं. 724 रकबा 0.71 है., आ.सं. 2160/725 रकबा 0.24 है. किता 3 रकबा 1.36 है. भूमि को विपक्षी चम्पालाल द्वारा कालूराम के हक में बक्षीसनामा दिनांक 24.01.2029 को निष्पादित कर दिनांक 01.02.2019 को पंजीयन कराया गया है और इसी प्रकार आ.सं. 590 रकबा 0.90 है. आ.सं. 1684 रकबा 0.08 है., आ. सं. 1685 रकबा 0.05 है., आ.सं. 1766 रकबा 0.05 है., आ.सं. 1767 रकबा 0.13 है., आ.सं. 1896 रकबा 0.08 है. किता 9 रकबा 2.59 है. का विक्रय पत्र विक्रय राशि 5,00,000/रूपये नुमाइशी रूप से अंकित कर चम्पालाल द्वारा अपने पोते एवं हरलाल के पुत्र कालूराम के हक में दिनांक 28.01. 2019 को निष्पादित कर दिनांक 01.02.2019 को पंजीयन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विक्रय राशि का आदान प्रदान नहीं हुआ है, कोई राशि चैक से अदायगी भी नहीं की गई है, केवल मात्र प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नियत से नुमाइशी दस्तावेज तैयार किया गया है और उक्त दस्तावेज पूर्णतया प्रभावशून्य दस्तावेज है। पंजीयन में पंजीयन अधिकारी द्वारा नियम 39 का नोट अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि बक्षीसनामे में अंकित जायदाद विवादित होकर न्यायालय में वाद लम्बित के दौरान तेयार किया गया है। इस प्रकार दौराने दावा तैयार किये गये दस्तावेज विधि विपरीत होकर प्रभावशून्य दस्तावेज हैं एवं उक्त दस्तावेज प्रार्थी के हितों के विपरीत कोई प्रभाव नहीं रखते हैं। इस प्रकार उक्त दोनों ही दस्तावेज बक्षीसनामा एवं विक्रयपत्र पूर्णताया विधि विपरीत होकर प्रभावशून्य घोषित किया जाना न्यायसंगत है। विवादित आराजियात पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण मौके पर माफिक अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु विपक्षीगण चम्पालाल, हरलाल एवं कालू द्वारा मिलकर नुमाईशी विधि विपरीत, गलत दस्तावेज दिनांक 01.02. 2019 को तैयार कर प्रार्थी को उसके हक अधिकार हिस्से की जायदाद से बेदखल एवं वंचित करना चाह रहे हैं एवं दस्तावेज को आधार बताकर प्रार्थी की जायदाद पर आकर लडाई झगडा कर दिनांक 20.02.2019 को विवाद कर विवादित जायदाद को किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं जायदाद से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं। इसलिए विपक्षीगण को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षीगण विवादित जायदाद आराजियात को किसी अन्यको रहन, बह, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें, न ही किसी अन्य से करावें एवं वादी के कब्जे काश्त में किसीप्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से 1, 2, 6 ने जवाब दिनांक 12.07.22 को प्रस्तुत किया जवाब में अंकित किया कि प्रा. पत्र आधारहीन योग्य होने से चलने योग्य नहीं है। कॉलम सं. 2 व 3 अस्वीकार है। आराजियात मुझ चम्पालाल के खातेदारी की है व मुझे मेरी आराजियात को बक्शीश करने का पूरा अधिकार है जिसे मैने बक्शीश किया है व कुछ भूमि विक्रय की है। जिसका भी मुझे अधिकार है व मुझ खातेदार द्वारा लिखे गये दस्तावेज सही है इन्हे निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र में विस्तृत अंकन कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 पर पूर्व में जारी स्थगन मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थी के हक व हिस्से तक स्थगन प्रभावी रहेगा, शेष स्थगन अप्रभावी किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र मूल वाद के संलग्न रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 17:06:47 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़